समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए दिल्ली की योजनाएँ

1. राज्य विकलांगता पेंशन

दिल्ली समाज कल्याण विभाग विकलांगता पेंशन लागू कर रहा है जो राज्य और केंद्र सरकार के अंशदान का मिश्रण है। इस योजना को विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए निर्वाह भत्ता/वित्तीय भत्ता के रूप में जाना जाता है। अनुदान 2500/- रुपये प्रति माह है।

पात्रता मानदंड

1. विकलांग व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष (0 से 60 वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. परिवार की आय सभी स्रोतों से 75,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. आवेदन जमा करने की तिथि से कम से कम 5 वर्ष पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए।

4. आवेदक की विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।

5. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी भी बैंक या डाकघर में 'एकल-संचालित' खाता होना चाहिए। राष्ट्रीय न्यास के नियमों के अनुसार नाबालिगों, मानसिक रूप से विकलांग आवेदकों या कानूनी संरक्षकता के दायरे में आने वाले लोगों के मामले में इस प्रावधान में छूट दी जा सकती है।

आवश्यक दस्तावेज़

1. निवास का प्रमाण

नीचे सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई भी एक (जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में कम से कम 5 साल का निवास दर्शाता है): राशन कार्ड / वोटर कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / एमसीडी / रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु द्वारा जारी - जन्म प्रमाण पत्र / बीमा पॉलिसी दस्तावेज़ / किसी भी परिवार के सदस्य का टीकाकरण कार्ड / दिल्ली में उपचार के मेडिकल रिकॉर्ड / बिजली का बिल / पानी का बिल / टेलीफोन बिल / गैस कनेक्शन रसीद / बैंक पासबुक / जाति प्रमाण पत्र / छात्र पहचान पत्र / सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र की अथवा स्थापित कंपनी का सेवा पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र / पेंशन दस्तावेज़ / भूतपूर्व सैनिक आश्रित प्रमाण

पत्र / संपत्ति दस्तावेज़ / कोई अन्य दस्तावेज़ जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में कम से कम 5 साल का निवास दर्शाता है।

2. दिल्ली सरकार या भारत सरकार के अधिसूचित अस्पतालों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति।

3. आवेदक द्वारा फॉर्म में दी गई अपनी पारिवारिक आय के संबंध में स्व-घोषणा।

4. फॉर्म को केंद्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या एमपी/एमएलए द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए और साथ में दिए गए दस्तावेजों को भी सत्यापित किया जाना चाहिए।

5. यदि आवेदक के पास निवास प्रमाण के संदर्भ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है-

i) आवेदक को निम्नलिखित सूची में से किसी भी दो निवास प्रमाणों के बयान प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें आवेदक के दिल्ली में रहने की अवधि का उल्लेख हो। निम्नलिखित सूची में से किसी भी दो गवाहों के बयान प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें आवेदक के दिल्ली में रहने की अवधि का उल्लेख हो-

क. जन प्रतिनिधि जैसे क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के विधायक।

ख. इलाके के आरडब्लूए का अध्यक्ष या महासचिव।

ग. आवेदक के दो पड़ोसी तथा उनके संपर्क विवरण।

घ. पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह/महिला मंडल की अध्यक्ष या महासचिव।

ड़. क्षेत्र के आईसीडीएस पर्यवेक्षक/आशा कार्यकर्ता।

च. केन्द्र/दिल्ली सरकार का राजपत्रित अधिकारी।

ii) गवाह के बयान के साथ-साथ, गवाहों के फोटो पहचान प्रमाण, निवास और रहने की अवधि के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि गवाह स्वयं उसी क्षेत्र में उतने वर्षों से रह रहे हैं जितने वर्षों से वे आवेदक को जानते हैं। यह क्षेत्र के सांसद/विधायक जैसे जन प्रतिनिधि को छोड़कर सभी पर लागू होगा।

अन्य शर्तें: लाभार्थी के लिए पते और/या बैंक विवरण जैसे बैंक, खाता संख्या आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना देना अनिवार्य होगा।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय जाना होगा। भरा हुआ फॉर्म उसी स्थान पर जमा करना होगा। फॉर्म दिल्ली के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आवेदक फॉर्म की प्रिंट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और उपरोक्त प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

भुगतान का तरीका

आरबीआई की ईसीएस प्रणाली के माध्यम से तिमाही आधार पर 1500 रुपये प्रतिमाह बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी इस योजना के तहत सहायता के सत्यापन, स्वीकृति और भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी है। सहायता की स्वीकृति की स्थिति में, यह सभी मामलों में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के महीने के बाद के महीने से देय होगा।

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को स्वचालित रूप से वृद्धावस्था सहायता योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

लाभ प्राप्ति की अवधि

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

नोट: विकलांगता पेंशन/वित्तीय सहायता हेतु आवेदन संलग्न है।

2. दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बस यात्रा सुविधा/बस रियायत

दिल्ली परिवहन निगम दृष्टिबाधित व्यक्तियों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। एस्कॉर्ट को रियायत की सुविधा उन लोगों को दी जाती है जो 100% से कम अंधे नहीं हैं। संबंधित डिपो में आवेदन करने से पहले, आवेदक को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से कार्ड प्राप्त करना होगा।

पात्रता मानदंड

1. आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

2. 100% विकलांगता वाले आवेदक को उनके अनुरक्षक/परिचारक के लिए 50% छूट मिलेगी।

3. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

1. एसडीएम द्वारा जारी कार्ड

2. आवासीय प्रमाण

3. पासपोर्ट साइज फोटो

4. विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन पत्र संबंधित डिपो से मात्र एक रुपए देकर प्राप्त किया जा सकता है। सभी दस्तावेजों के साथ भरा हुआ फॉर्म उसी डिपो पर जमा किया जा सकता है।